प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 02.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

“मिशन शक्ति फेज-5.0” के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे “मिशन शक्ति फेज- 05” के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 02.02.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपद महोबा की थाना श्रीनगर, आबकारी एवं जीएसटी की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध की बड़ी कार्यवाही, अवैध रुप से शराब का परिवहन कर रहे 01 अभियुक्त को मय ट्रक के साथ किया गिरफ्तार, इस दौरान ट्रक से लगभग ₹ 50 लाख/- कीमत की 675 पेटी गैर प्रान्त की अग्रेजी शराब बरामद।

महाकुंभ- 2025 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 01.02.2025 को थाना श्रीनगर, आबकारी पुलिस टीम को मुखबिर के द्वारा अवैध रुप से शराब का परिवहन किए जाने के सम्बन्ध एक सटीक सूचना प्राप्त हुई, सूचना के क्रम में जीएसटी टीम को साथ में लिया गया, संयुक्त टीम द्वारा सूरा चौराहे के पास चेकिंग के दौरान ट्रक नं. UP32EN4651 को रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो ट्रक चालक द्वारा ट्रक लेकर कस्बा श्रीनगर की ओर भागने का प्रयास किया गया, जिसका पीछा करके कस्बा श्रीनगर आरटीओ कार्यालय के सामने ट्रक को रोक लिया गया, इस दौरान ट्रक में भारी मात्रा में लदी गैर प्रान्त की 454 पेटी में 21,792 पौवा (इम्पीरियल ब्लू अंग्रेजी शराब) व 221 पेटी में 5,304 अद्धी (इम्पीरियल ब्लू अंग्रेजी शराब) 5,911.56 लीटर कुल कीमती 49,13040 रूपए की बरामद की गयी है। इस बरामदगी के आधार पर थाना श्रीनगर में मु.अ.सं. 21/2025 धारा 320/336(3)/338 बीएनएस व 60/63/72 आब0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक के उपरान्त गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया व बरामद ट्रक को सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

राजदीप राजपूत पुत्र लेखराज राजपूत निवासी गुरूनानक नगर थाना डावा जनपद लुधियाना, पंजाब।

बरामदगी –

अभियुक्त के कब्जे से ट्रक नं. UP32EN4651, ट्रक में लदी 376 बोरी पुट्टी मिट्टी के नीचे 454 पेटी में 21,792 पौवा व 221 पेटी में 5,304 अद्धी (इम्पीरियल ब्लू अंग्रेजी शराब) 5,911.56 लीटर नाजायज बरामद होना। बरामद शराब की अनुमानित कुल कीमत 49 लाख 13 हजार 40 रूपए है।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम –

थाना श्रीनगर पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 कन्हैयालाल 2.उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह 3.उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल 4.उ0नि0 सुरेश कुमार यादव 5 .हे0का0 ओमप्रकाश, थाना श्रीनगर

आबकारी पुलिस टीम-

1.आबकारी निरीक्षक कनीज फातिमा
2. हे0का0 भूपेन्द्र 3.का0 मुइनीउद्दीन फारूकी 4.का0 आशिक अली, आबकारी महोबा

@MahobaPolice

गड़ा हुआ धन की आशंका पर अंधेरी रात में खुदाई कर चोरी की योजना बना रहे 08 नफर अभियुक्तों को थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से 08 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त कार सहित खुदाई करने में प्रयुक्त उपकरण फावड़ा, कुल्हाड़ी, सब्बल, तसला व पूजन सामग्री की गयी बरामद-

महाकुंभ- 2025 के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा मुखबिर तंत्र को विकसित कर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, साथ ही थानाक्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 01.02.2025 को थाना महोबकंठ प्र0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा थानाक्षेत्र में आपराधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने हेतु थानास्तर पर उ0नि0 राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम को मुखबिर ने सूचना दी कि थानाक्षेत्र के ग्राम बड़ा लिलवा के बाहर स्थित माता जी के मन्दिर के कैम्पस में चोरी करने वाला एक गैंग किसी तांत्रिक की मदद से मन्दिर प्रागण में गड़ा धन खोदकर चोरी करने की योजना बना रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची व दबिश देकर 08 नफर अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त कार सहित खुदाई करने में प्रयुक्त उपकरण फावड़ा, कुल्हाड़ी, सब्बल, तसला व पूजन सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है, इस दौरान इनका 01 साथी मौके से भागा हुआ है, जिसकी तलाश की जा रही है।

इस दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से गड़ा हुआ धन चोरी कर निकालने की योजना में प्रयुक्त 02 अदद फावड़ा, 02 अदद तसला लोहे के, 04 अदद टार्च, एक पन्नी मे फूल/माला, अगबत्ती, बतासे, 02 बण्डल श्याम बीडी, माचिस , 05 अदद मोमबत्ती, अतर की शीशी, एक सरौता, एक नारियल, 08 अदद मोबाइल सहित घटना में प्रयुक्त एक अदद कार सफेद रंग S-PRESSO नं0 UP 95 S 9683 को बरामद किया गया है, बरामद कार के प्रपत्र न होने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ में मु0अ0सं0- 22/25 धारा 313/112 बीएनएस व 207 एमवी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया व गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.अनवर खान पुत्र अहमद खान उम्र करीब 58 वर्ष, निवासी ग्राम कोहनिया थाना महोबकंठ जिला महोबा
2.दीपेन्द्र राजपूत पुत्र कुंवर लाल उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम लोहरगांव थाना महोबकंठ जनपद महोबा
3.राजकुमार अहिरवार पुत्र बूठे अहिरवार उम्र 24 वर्ष नि. ग्राम सरसेड थाना हरपालपुर छतरपुर म0प्र0
4.बूठे अहिरवार पुत्र स्व0 चंदे अहिरवार उम्र 57 वर्ष नि. सरसेड थाना हरपालपुर जिला छतरपुर म0प्र0
5.हरि सिंह अहिरवार पुत्र राजू उम्र 24 वर्ष निवासी सरसेड थाना हरपालपुर जिला छतरपुर म0प्र0
6.संतोष अहिरवार पुत्र बच्चू उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कोहनिया थाना महोबकंठ जिला महोबा
7.अनवर हुसैन पुत्र सफी मोहम्मद उम्र 46 वर्ष निवासी खटिकियाना मोहल्ला बसारी दरवाजा वार्ड न0 16 थाना सिटी कोतवाली जिला छतरपुर म0प्र0
8.इलियास खान पुत्र सुलेमान खान उम्र 50 वर्ष निवासी डेरी रोड वार्ड न0 20 थाना सिविल लाइन जिला छतरपुर म0प्र0

वांछित अभियुक्त- हृदेश राजपूत पुत्र कुंवर लाल निवासी ग्राम लोहरगावं थाना महोबकंठ जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राजेश कुमार 2.उ0नि0 सतीश कुमार शुक्ला 3. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह
4. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा 5. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह 6. उ0नि0 प्रशान्ति दीक्षित
7. का0 विजय निरंकारी

यातायात पुलिस टीम द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के लिए चला रही विशेष अभियान, इस अभियान के तहत करीब 10 वाहनों पर लगाए गए रिफ्लेक्टर टेप-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं में रोकथाम एवं वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता लाये जाने के उद्देश्य से यातायात प्रभारी महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा यात्रियों का सड़क दुर्घटनाओं से बचाव करने के उद्देश्य से वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए विशेष अभियान चला रही है।

यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अंधेरे के समय में दृश्यता कम हो जाती है और सड़क पर यात्रा करते समय आमने-सामने वाले वाहन ज्यादा दूरी तक दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। यात्रियों एवं वाहन चालकों को अपने आगे तथा पीछे चलने वाले वाहन बहुत कम दिखाई देते हैं। यह रिफ्लेक्टर रात के अंधेरे में दूर से चमकते हैं जिसकी वजह से वाहन चालकों को अपने आगे पीछे चलने वाले वाहन दिखाई देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महोबा की ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करीब 10 वहानों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं।

इसी क्रम में यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरुक किये जाने के व दुर्घटनाओं में कमी के उद्देश्य से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध चेकिंग के दौरान नियमानुसार चालान की कार्यवाही की गयी है।

थाना खन्ना पुलिस टीम ने चोरी की घटना से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

महाकुंभ- 2025 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में थाना खन्ना प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 चेतराम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 12/25 धारा 307 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त बृजराज सिंह पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम भौतीखेड़ा थाना सचेंडी जनपद कानपुर नगर को नियमानुसार गिरफ्तार कर बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चेतराम
2. हे0का0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया
3. का0 कुंज बिहारी

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.बृजराज सिंह पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम भौतीखेड़ा थाना सचेंडी जनपद कानपुर नगर